न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी श्रीमती सुनिता यादव, आर0ए0एस0

प्रकरण संख्या – 328 /2022

उनवान

सीमा देवी पत्नी रतनलाल शर्मा निवासी ढीकोला तहसील शाहपुरा

– प्रार्थीया

बनाम

1–3 उदा, मदन, मूलचंद पिता हीरा खटीक निवासी ढीकोला
4– नन्दू देवी पत्नी मदनलाल रेगर निवासी ढीकोला
5– कालू लाल पिता सुवा रेगर निवासी ढीकोला
6– मांगू पिता प्रताप रेगर निवासी ढीकोला
7– मोहन पिता प्रताप रेगर निवासी ढीकोला
8– गोपाल पिता भेरू चमार निवासी ढीकोला
9– ललिता पत्नी भोलू रेगर निवासी ढीकोला
10– मोती पिता किसना चमार निवासी ढीकोला
11– जगदीश पिता पन्ना भील निवास ढीकोला
12– जीवण पिता पन्ना भील निवासी ढीकोला
13– रामचन्द्र पिता कल्याण भील निवासी ढीकोला

– विपक्षीगण

उपस्थिति :– श्री अविनाश जीनगर
अधिवक्ता प्रार्थीया

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1956

–:: निर्णय ::–

दिनांक– **19.09.2022**

प्रार्थीया की ओर से प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विरूद्ध विपक्षीगण के प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है – ग्राम **ढीकोला पटवार हल्का ढीकोला** तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा में स्थित **आराजी नम्बर 5305/211 रकबा 1.11 है0** कुल किता **1** रकबा **1.11** हैक्टेयर की प्रार्थीया खातेदार काश्तकार है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ौसी है। प्रार्थीया एवं विपक्षीगण के मध्य आराजी के सीमाचिन्ह नही होने से आये दिन सीमा सम्बन्धी विवाद उत्पन्न होता रहता है। अतः पत्थरगढ़ी करवाई जावें।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर **विपक्षीगण** को जरिये सम्मन तलब किया गया। **विपक्षीगण संख्या 1 लगायत 7, 9 लगायत 13** बावजूद सूचना उपस्थित नही होने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गयी तथा **विपक्षीगण सं0 8** के विरूद्ध अभिभाषक प्रार्थीया के कोई कार्यवाही नहीं चाहने से उनके विरूद्ध कार्यवाही ड्रोप की जाकर बहस अभिभाषक प्रार्थीया सुनी गई। हमने पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबन्दी **ग्राम ढीकोला पटवार हल्का ढीकोला संवत 2076 से 2079** तक का अवलोकन किया। उपरोक्त वर्णित आराजीयात् **प्रार्थीया के खातेदारी में** दर्ज होकर अपनी आराजीयात की पत्थरगढ़ी कराना चाहती है। अतः **प्रार्थीया** द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा **ढीकोला** में स्थित प्रार्थीया की उपरोक्त **खातेदारी** की आराजीयात् किता **1 रकबा 1.11 हैक्टेयर** की पुख्ता पत्थरगढ़ी पक्षकारान् की मौजूदगी में अगर मौके पर अन्य कोई विवाद न हो तो व कोई प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन न हो तो कब्जे में हस्तक्षेप नही करते हुये पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु तहसीलदार शाहपुरा को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पत्थरगढ़ी हेतु कमिश्नर **फीस 500/– रूपये** कायम किये जाते है, जो प्रार्थीया से तहसीलदार शाहपुरा मौके पर प्राप्त करें। पत्थरगढ़ी मौका पर्चा पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम से हो। बाद तफसील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक **19.09.2022** को सरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा(भीलवाड़ा)राज.

(सुनिता यादव)
उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलक्टर
शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपि :– तहसीलदार शाहपुरा के पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान् की मौजूदगी में नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावें।

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलक्टर
शाहपुरा जिला भीलवाड़ा